रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102022-239538 CG-DL-E-10102022-239538

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686] No. 686] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 10, 2022/आश्विन 18, 1944 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 10, 2022/ASVINA 18, 1944

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2022

सा.का.नि. 772(अ).—सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा सरोगेसी (विनियमन) नियम 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों को सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम 2022 कहा जाएगा।
 - (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. सरोगेसी (विनियमन) नियमावली 2022 में नियम 5 के उपनियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
- (ii) इच्छुक दंपित/**महिला** सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (थ) के अनुसार गारंटी देते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक **मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक** के समक्ष शपथ लेने के लिए एक शपथ प्ररूप पर हस्ताक्षर करेंगे।

[फा. सं. यू.11019/15/2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

नोट: सरोगेसी (विनियमन) नियम 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में दिनांक 21 जून, 2022 के सा.का.नि. 460 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

6854 GI/2022 (1)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2022

G.S.R. 772(E).— In exercise of the powers conferred by section 50 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022, namely: -

- 1. (1) These rules may be called the Surrogacy (Regulation) Amendment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- 2. In the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022 sub-rule (2) of Rule 5 shall be substituted as under:-
- (2) The intending couple/woman shall sign an affidavit to be sworn before a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public giving guarantee as per the clause (q) of sub-section (1) of section 2 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021).

[F. No. U.11019/15/2022-HR]

GEETA NARAYAN, Jt. Secy.

Note: The Surrogacy (Regulation) Rules, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide G.S.R. 460 (E) dated 21st June, 2022.